<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 1/2017 **दायर दिनांकः 13/02/2017**

उनवान

1. मेघराज आयु 50 वर्ष पुत्र चम्पालाल जाति किराड़ निवासी गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

अप्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 23/12/2020

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू सम्वत् 2029 से 2032 के अनुसार खाता सं0 47 ख0नं0 41 का रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 211 का रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 269 का रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 270 का रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 271 का रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 53/331 का रकबा 2 बिस्वा कुल किता 6 का कुल रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा आराजी खातेदार मथरा, चम्पा पुत्र धूलीलाल जाति किराड़ हिस्सा बराबर दर्ज चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032 व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। दौराने सेटलमेन्ट मथुरालाल व चम्पालाल पुत्रान धूलीलाल जाति किराड़ निवासी गोरधनपुरा दौनों भाईयों ने सहमति से अपनी खातेदारी खाते की आराजी का बंटवारा करवा लिया जो बाद सेटलमेन्ट आराजी निम्न प्रकार से मथुरालाल खाता सं0 49 की ख0नं0 61 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 62 की 1.09 है0, ख0नं0 63 की 0.0[illegible] है0, ख0नं0 64 की 0.02 है0, ख0नं0 65 की 0.49 है0, ख0नं0 183 की 0.01 है0 खनं0 469 की 0.39 है0, ख0नं0 494 की 0.24 है0, कुल किता 8 का रकबा 2.84 है0 आराजी बनी। इसी प्रकार से चम्पालाल के बाद सेटलमेन्ट खाता सं0 17 का ख0नं0 59 की 2.34 है0, ख0नं0 472 की 0.64 है0, ख0नं0 480 की 0.38 है0, ख0नं0 494

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:34 IST
Reason: SelfAttested

की 0.17 है0, ख0नं0 183/652 की 0.01 है0 कुल 5 किता की 3.54 है0, आराजी बनी। नकल बाद सेटलमेन्ट खाता सं0 17 व खाता सं0 49 व मिलान क्षैत्रफल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। सेटलमेन्ट से पूर्व ख0नं0 53/331 रकबा 2 बिस्वा आराजी के नवीन ख0नं0 183 की 0.01 है0, ख0नं0 183/652 की 0.01 है0 बनाये है। प्रार्थी के पिता चम्पालाल व काका मथुरालाल ने उक्त आराजीयात को सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगणों द्वारा सहमति से पृथक करवाया था एवं इसी प्रकार कब्जा चला आ रहा है। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण द्वारा सहवन से ख0नं0 183 रकबा 0.01 मथुरालाल के खाते दर्ज कर दिया एवं ख0नं0 183/652 रकबा 0.01 है0 चम्पालाल के खाते दर्ज कर दिया। जबकि चम्पालाल का शुरू से ही कब्जा ख0नं0 183 का रकबा 0.01 है0 पर है एवं उसके बाद प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है एवं मथुरालाल का कब्जा शुरू से ही ख0नं0 183/652 रकबा 0.01 है0 पर है। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा सहवन से ख0नं0 183 को मथुरालाल व ख0नं0 183/652 को चम्पालाल के नाम दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त करवाकर प्रार्थी ख0नं0 183 को अपने नाम व ख0नं0 183/652 को मथुरालाल के वारिसान अमरलाल वगै0 के नाम करवाना चाहता है एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन करवाना चाहता है। दिनांक 13.01.2017 को ग्राम गोरधनपुरा में गले प0 दीनदयाल अपाध्याय समस्या समाधान शिविर में प्रार्थी ने अपनी आराजी पर अन्य व्यक्ति का कब्जा छुडवाने का प्रार्थना पत्र लगाने पर प्रार्थी को उक्त जानकारी हुई कि प्रार्थी के कब्जे की आराजी ख0नं0 183 प्रार्थी के खाते नही है एवं ख0नं0 183/652 प्रार्थी के खाते है तो प्रार्थी ने सेटलमेन्ट विभाग की नकले व नक्शा निकलवाने पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सहवन से हुई गलती का पता चला। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी ख0नं0 183/652 की आराजी को विनियम (परिवर्तित एक्सचैंज) करवाकर ख0नं0 183 की 0.01 है0 आराजी अपने खाते दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी सेटलमेन्ट से पूर्व की नकलें, नक्शा व सेटलमेन्ट की नकले वर्तमान नकले लेकर अप्रार्थी के पास गया कि सेटलमेन्ट विभाग ने सहवन से मेरी आराजी ख0नं0 183 मथुरालाल के वारिसान अमरलाल के नाम क[illegible] एवं मथुरालाल के वारिस के कब्जे की आराजी ख0नं0 183/652 प्रार्थी के नाम कर दी है जिसे दुरूस्त करवाना विनिमय (परिवर्तित एक्सचेन्ज) करवाना चाहता है। अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय में दुरूती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। वाद कारण दिनांक 09.02.2017 को सेटलमेन्ट से पूर्व की नकलें नक्शा व सेटलमेन्ट की नकले लेकर सहवन से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हुई गलती को दुरूस्त करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:34 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी के पास गया तो अप्रार्थी द्वारा मना करने व माननीय न्यायालय मे दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। आराजी ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी विनयी है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वर्णित आराजी ख0नं0 183 रकबा 0.01 है0 आराजी जिस पर प्रार्थी का कब्जा है, को विनिमय (परिवर्तित एक्सचेन्ज) कर प्रार्थी के खाते दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करें एवं ख0नं0 183/652 रकबा 0.01 है0 आराजी को विनिमय (परिवर्तित एक्सचेन्ज) कर पश्चिम दिशा प्रार्थी के पूरब दिशा अमरलाल के वारिसयान के करवाने की एवं मथुरालाल के वारिसान अमरलाल वगै0 के नाम खाते दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करें एवं पालना हेतु अप्रार्थी को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने पर बंद किया गया तहसीलदार अटरू से वर्तमान मौके की रिपोर्ट ली गई, जिसमें कथन किया गया कि ग्राम गौरधनपुरा की आराजी ख0नं0 183 व ख0नं0 183/652 का मौका देखा गया मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख0नं0 183 रकबा 0.01 है0 भूमि अमरलाल पुत्र मथुरालाल वगै0 जाति किराड़ के नाम खाता दर्ज है। जबकि मौके पर ख0नं0 183 पर मेघराज पुत्र चम्पालाल जाति किराड का मकान बना हुआ है। ख0नं0 183/652 मुताबिक राजस्व रिकार्ड मेघराज पुत्र धन्नालाल जाति किराड के नाम खाता दर्ज है। जबकि मौके पर ख0नं0 183/652 पर अमरलाल पुत्र मथुरालाल ने मकान बना रखा है। अतः ख0नं0 183/652 पर अमरलाल पुत्र मथुरालाल काबिल है।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 का शपथ पत्र पेश किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम गोरधनपुरा की [illegible] सं0 2029 से 232 खाता संख्या 47 ख0नं0 41 किता 6 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा खातेदार मथुरा, चम्पा पुत्र धूलीलाल के हिस्से बराबर दर्ज था दौनों भाईयों द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा सेटलमेन्ट द्वारा करवा लिया गया। जिसमें बाद सेटलमेन्ट खातेदार के खाता संख्या 49 को ख0नं0 61 रकबा 0.59 है0 ख0नं0 62 की 1.09 है0 ख0नं0 63 की 0.01 है0 ख0नं0 64 की 0.02 है0 ख0नं0 65 की 0.49 है0 ख0नं0 183

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:34 IST
Reason: SelfAttested

की 0.01 है0 ख0नं0 469 की 0.39 है0 ख0नं0 493 की 0.24 है0 कुल किता 8 रकबा 2.84 है0 आराजी बनी।

इसी प्रकार चम्पालाल के बाद सेटलमेन्ट खाता संख्या 17 ख0नं0 59 रकबा 2.34 है0 ख0नं0 472 की 0.64 है0 ख0नं0 480 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 494 रकबा 0.17 है0 ख0नं0 183/652 की 0.01 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.54 है0 आराजी बनी।

सेटलमेन्ट से पूर्व ख0नं0 53/331 रकबा 2 बिस्वा आराजी के नवीन ख0नं0 183 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 183/652 रकबा 0.01 है0 बनाये है। जिसको सेटलमेन्ट विभाग से सहमति से पृथक करवाया था इसी प्रकार कब्जा चला आ रहा है। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा सहवन से ख0नं0 183 रकबा 0.01 है0 मथुरालाल की सन्तानों के खाते दर्ज कर दिया एवं ख0नं0 183/652 रकबा 0.01 है0 चम्पालाल की सन्तानो के खाते दर्ज कर दिया जबकि चम्पालाल का शुरू से ही कब्जा ख0नं0 183 रकबा 0.01 है0 पर है, एवं मथुरालाल का शुरू से कब्जा ख0नं0 183/652 रकबा 0.01 है0 पर है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 183 पर मेघराज पुत्र चम्पालाल ने मकान बना रखा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। विवादित आराजी ग्राम गोरधनपुरा की खाता संख्या 108 किता 5 रकबा 3.54 है0 में से ख0नं0 183/652 रकबा 0.01 है0 मथुरालाल के खाते दर्ज किया जावें, व खाता संख्या 9 किता 5 रकबा 0.67 है0 में से ख0नं0 183 रकबा 0.01 है0 मेघराज पुत्र चम्पालाल के खाते दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:34 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां